23/12/25

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। वकील वादी उप० पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्राप्ति 2.11 [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

राजस्थान — सरकार

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरोड, जिला, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— **रामकिशोर मीणा**
(R.A.S.)

राजस्व प्रा0 पत्र सं. :— 154
तारीख दायर :— 30/07/2025
तारीख निर्णय :— 23/12/2025

|| उनवान ||

1 **संतरा देवी उम्र 75 साल पत्नि श्री मातादीन जाति अहीर निवासी बांटखानी, तहसील नीमराना जिला कोटपूतली– बहरोड राज0**

——— वादनी

|| बनाम ||

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज0

–प्रतिवादी

दावा — नाम दुरस्ती मशवरे इसके कि वर्तमान खाता सं0 292 293 व 291 वाके ग्राम बर्डोद, तहसील बहरोड में स्थित है। कृषि भूमि में वादनी का नाम घर पर बोला जाने वाला " लाली देवी पत्नि मातादीन अंकित कर दिया जबकि वादनी का सही व रिकार्डेड नाम सन्तरा देवी पत्नि मातादीन है जबकि वादनी को गाव में सन्तरा देवी उर्फ लाली देवी दोनो नामो से बोलते व जानते है जिससे उक्त आराजी में घर पर बोला जाने वाला नाम लाली देवी अंकित हो गया जबकि लाली देवी पत्नि मातादीन वादनी के अलावा गावं में उक्त नाम की अन्य कोई महिला नही है। जो मुताबिक दसतावेज के लाली देवी पत्नि मातादीन के स्थान पर सन्तरा देवी पत्नि मातादीन अंकित किया जाने बाबत।

उपस्थितः— श्री मोहनलाल गुप्ता वकील वादनी
पैरोकार सरकार तहसीलदार

—: निर्णय :—

यह आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 25 एयर, 139 रकबा 30 एयर, 141 रकबा 55 एयर, 83 रकबा 05 एयर, 84 रकबा 09 एयर, वर्तमान खाता सख्या 292 व 137 रकबा 60 एयर, वर्तमान खाता सख्या 293 व खसरा नम्बर 132 रकबा 31 एयर, 133 रकबा 30 एयर, वर्तमान खाता सख्या 291 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज० में स्थित है। विवादित आराजी वर्तमान खाता सख्या 292 में वर्णित आराजी मे वादनी का 1/6 भाग व वर्तमान खाता सख्या 293 मे वर्णित आराजी मे वादनी का 1/12 भाग व वर्तमान खाता सख्या 291 मे वर्णित आराजी मे वादनी का 1/12 भाग है। मन वादीन आराजी मुतनाजा मे अपने हक व हिस्से पर के.सी.सी. के तहत ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का के पास

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

दिनाक 15.07.2025 को फाईल बनवाने गयी ओर पटवारी हल्का से फाईल बनवानी चाही तो पटवारी हल्का ने मन वादनी के दस्तावेज व जमीन के रिकोर्ड को देखकर मन वादनी को बताया की आराजी मुतनाजा मे वादनी का नाम लाली देवी पत्नी मातादीन व रिकार्ड पहचान पत्र आदि मे सन्तरा देवी पत्नी मातादीन है जो जमीन व रिकार्ड मे नाम भिन्न–भिन्न होने से वादनी को ऋण नहीं मिल सकता है। जिस पर मिन वादनी ने पटवारी हल्का को मिन वादनी का नाम राजस्व रिकोर्ड मे मुताबिक दस्तावज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बूक ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र के दुरूस्त करने एवं लाली देवी पत्नी मातादीन के स्थान पर सन्तरा देवी पत्नी मातादीन अंकित करने का निवेदन किया है। मिन वादनी का रिकोडेड नाम सन्तरा देवी पत्नी श्री मातादीन है जो वादनी के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बूक आदि मे सन्तरा देवी पत्नी मातादीन अंकित है लेकिन मिन वादनी को घर पर सन्तरा उर्फ लाली देवी दोनो नामो से बोलते व जानते है। जिसमे आराजी मुतनाजा मे वादनी का नाम सहवन से घर पर बोला जाने वाला नाम लाली दर्ज कर दिया जो गलत है जबकी मिन वादनी का सही नाम सन्तरा देवी पत्नी मातादीन है। तथा लाली देवी पत्नी मातादीन को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर सन्तरा देवी पत्नी मातादीन दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

वादनी का वाद पत्र दर्ज रिकार्ड कर प्रतिवादी पैरोकार सरकार को द्वारा सम्मन तलब किया गया। पैरोकार ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि वादनी का वाद पत्र पत्र चाहे गये अनुतोष न्यायालय श्रीमान क्षेत्राधिकर से संबधित है।

वादीया ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 एनेक्सर 01, जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 एनेक्सर 02, जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 एनेक्सर 03, प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत एनेक्सर 04, आधार कार्ड , राशन कार्ड , बैक पास बुक आदि पेश किये है।

हमने वादनी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। वादनी वकील का कथन है वादनी का रिकोडेड नाम सन्तरा देवी पत्नी श्री मातादीन है जो वादनी के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बूक आदि मे सन्तरा देवी पत्नी मातादीन अंकित है लेकिन मिन वादनी, को घर पर सन्तरा उर्फ लाली देवी दोनो नामो से बोलते व जानते है। जिसमे आराजी मुतनाजा मे वादनी का नाम सहवन से घर पर बोला जाने वाला नाम लाली दर्ज कर दिया जो गलत है जबकी मिन वादनी का सही नाम सन्तरा देवी पत्नी मातादीन है। तथा लाली देवी पत्नी मातादीन को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर सन्तरा देवी पत्नी मातादीन दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। जिसे दुरस्त किया जाना न्यास संगत है प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से पैरोकार तहसीलदार उपस्थित हुए तथा प्रकरण को माननीय न्यायालय के विचाराधीन क्षेत्राधिकार का बताया गया।

विचार एवं विश्लेषण–पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073 से 2076, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्रों का गहन अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजों से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि वादिनी का वास्तविक एवं रिकॉर्डेड नाम संतरा देवी पत्नी मातादीन है।
यह भी स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में अंकित नाम लाली देवी मात्र घरेलू प्रचलन के कारण अंकित हुआ है, जो वास्तविक पहचान से भिन्न है। इस प्रकार का अंकन मूल

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

अधिकारों में परिवर्तन नहीं करता अपितु केवल पहचान संबंधी त्रुटि है। राजस्व अभिलेखों का उद्देश्य वास्तविक खातेदार की सही पहचान दर्शाना है। अभिलेखों में विद्यमान ऐसी त्रुटि का निराकरण करना प्रशासनिक एवं न्यायिक दायित्व है, ताकि खातेदार को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित न किया जाए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती किया जाना न्यायसंगत, आवश्यक एवं विधिसम्मत है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता है।

– : आदेश : –

अतः वादनी का वाद वीकार किया जाकर आदेश प्रदान किये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 25 एयर, 139 रकबा 30 एयर, 141 रकबा 55 एयर, 83 रकबा 05 एयर, 84 रकबा 09 एयर, वर्तमान खाता सख्या 292 व 137 रकबा 60 एयर, वर्तमान खाता सख्या 293 व खसरा नम्बर 132 रकबा 31 एयर, 133 रकबा 30 एयर, वर्तमान खाता सख्या 291 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज० में स्थित है में राजस्व रिकार्ड मे "लाली देवी पत्नी मातादीन" के स्थान पर "संतरा देवी पत्नी मातादीन" अंकित किया जाकर अभिलेख दुरुस्त किए जाएँ। तहसीलदार, बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति प्राप्त होते ही आवश्यक संशोधन कर अभिलेख अद्यतन कर अनुपालना सुनिश्चित करें। पर्चा डिकी पृथक से जारी हो।

आज दिनांक 23 / 12 / 2025 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय सुनाया गया ।

(रामकिशोर मीणा)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

राजस्थान – सरकार
न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरोड, जिला, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– **रामकिशोर मीणा**
(R.A.S.)

राजस्व प्रा0 पत्र सं. :– 154
तारीख दायर :– 30 / 07 / 2025
तारीख निर्णय :– 23 / 12 / 2025

।। उनवान ।।

1. संतरा देवी उम्र 75 साल पत्नि श्री मातादीन जाति अहीर निवासी बांटखानी, तहसील नीमराना जिला कोटपूतली– बहरोड राज0
––– वादनी

।। बनाम ।।

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज0
–प्रतिवादी

दावा – नाम दुरस्ती मशवरे इसके कि वर्तमान खाता सं0 292 293 व 291 वाके ग्राम बर्डोद, तहसील बहरोड में स्थित है। कृषि भूमि में वादनी का नाम घर पर बोला जाने वाला " लाली देवी पत्नि मातादीन अंकित कर दिया जबकि वादनी का सही व रिकार्डेड नाम सन्तरा देवी पत्नि मातादीन है जबकि वादनी को गाव में सन्तरा देवी उर्फ लाली देवी दोनो नामो से बोलते व जानते है जिससे उक्त आराजी में घर पर बोला जाने वाला नाम लाली देवी अंकित हो गया जबकि लाली देवी पत्नि मातादीन वादनी के अलावा गावं में उक्त नाम की अन्य कोई महिला नही है। जो मुताबिक दसतावेज के लाली देवी पत्नि मातादीन के स्थान पर सन्तरा देवी पत्नि मातादीन अंकित किया जाने बाबत।

उपस्थितः– श्री मोहनलाल गुप्ता वकील वादनी
पैरोकार सरकार तहसीलदार

–: पर्चा डिकी :–

यह आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 25 एयर, 139 रकबा 30 एयर, 141 रकबा 55 एयर, 83 रकबा 05 एयर, 84 रकबा 09 एयर, वर्तमान खाता सख्या 292 व 137 रकबा 60 एयर, वर्तमान खाता सख्या 293 व खसरा नम्बर 132 रकबा 31 एयर, 133 रकबा 30 एयर, वर्तमान खाता सख्या 291 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज० में स्थित है में राजस्व रिकार्ड मे "लाली देवी पत्नी मातादीन" के स्थान पर "संतरा देवी पत्नी मातादीन" अंकित किया जाकर अभिलेख दुरुस्त किए जाएँ।

आज दिनांक 23 / 12 / 2025 को यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय सुनाया गया ।

(रामकिशोर मीणा)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड राज0